



राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- प.17(8)परि/2013

जयपुर, दिनांक:-

आदेश

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (RSRTC) को जोधपुर में केन्द्रीय कार्यशाला एवं आगार के निर्माण कार्य हेतु बजट मद 3055-00-190(08)(00)-93 पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन सहायतार्थ अनुदान (राज्यनिधी) मद के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधान में से तृतीय और अन्तिम किश्त की राशि रूपये 290.00 लाख राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लि. के निजी निक्षेप खाते में अन्तरण किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी.संख्या 102100101 दिनांक 29.01.2021 में प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह/

(पी.डी.पारीक)

उप शासन सचिव, परिवहन

जयपुर, दिनांक:- 03/2/2021

क्रमांक:- प.17(8)परि/2013

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त परिवहन, परिवहन विभाग, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग मुख्यालय।
10. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
11. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, शासन सचिवालय उक्तानुसार राशि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर के पी.डी. खाते में हस्तान्तरित कराने का श्रम कराएं।
12. सहायक निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
14. कम्प्यूटर सैल, परिवहन विभाग (जयपुर)
15. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव, परिवहन 3/2/2021